SCST-33/2025

27.07.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी दिनांक 11.08.2025 से सतत् अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद परिवाद पत्र संख्या 32सी/2022 से जनित हैं। दिनांक 28.03.2025 को जांचोपरांत परिवाद पत्र में अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला भा0द0वि0 की धारा 323, 504, 506, 354 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत पाया गया था। परिवादिनी को निर्देशित किया गया था कि समन की आपेक्षिताऐं दाखिल करे। किंतु अनेको अवसर के बावजूद भी समन की आपेक्षिताऐं दाखिल नही की गयी है। परिवादिनी की सतत् अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उसे इस मामले में कोई अभिरूचि नही है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।